

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endorsement No. C/4070 Jabalpur, dated 13.10.2016.

The copy of the notification of the Government of M.P. F.No.1-1-88/XXI-B(1)/3250/16, Bhopal, dated 05.10.2016 issued in exercise of the powers conferred by Section 3(1) of the Prevention of Corruption Act, 1988 is forwarded to;

1. The Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Acting Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information,
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. The District and Sessions Judge, Bhopal, Indore and Jhabua for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Officers also,
5. The Registrar DE for information,
6. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information and necessary action.
7. Server Room, Computer for an appropriate action in connection with uploading the same on the website.

Vivek Saxena
13.10.2016
(Vivek Saxena)
O.S.D. (D.E.)

2190

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
// अधिसूचना //



भोपाल, दिनांक 5-10-2016

फा.क्रमांक 1-1-88/21-अ(एक)/3250/16, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88/इक्कीस-अ(एक) दिनांक 24 अक्टूबर, 2009 में जो म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर, 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-
संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,-

(एक) अनुक्रमांक 8 के पश्चात, निम्नलिखित अनुक्रमांक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात:-

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"8 क	षष्ठम अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल	भोपाल."।

(दो) अनुक्रमांक 22 के पश्चात, निम्नलिखित अनुक्रमांक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात:-

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"22 क	चौदहवें अपर सेशन न्यायाधीश, इन्दौर	इन्दौर."।

(तीन) अनुक्रमांक 24 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"24	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, झाबुआ	झाबुआ."।

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F.No -1-1-88/XXI-B(1), dated 24th October, 2009, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 6th November, 2009, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification, in the schedule,-

- (i) After serial number 8, the following serial number shall be inserted, namely:-

Amendment, Page 6 of 8

07 OCT 2016
REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR

O.S.D.C.D.E.)

S. No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local Area
(1)	(2)	(3)
"8 A.	VI th Additional Sessions Judge, Bhopal	Bhopal."

- (ii) After serial number 22, the following serial number shall be inserted, namely:-

S. No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local Area
(1)	(2)	(3)
"22 A.	XIV th Additional Sessions Judge, Indore	Indore."

- (iii) For serial number 24 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S. No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local Area
(1)	(2)	(3)
"24.	I st Additional Sessions Judge, Jhabua	Jhabua."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(आर.के. चौधरी)
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.

फा.क्रमांक 1-1-88/21-अ(एक)/3250/16

भोपाल, दिनांक 5-10-2016

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्र. C/3450/III-6-4/57, दिनांक 30.08.2016 के संदर्भ में,
2. महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल,
3. महानिदेशक, मध्यप्रदेश राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल, इन्दौर एवं झाबुआ,
5. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म.प्र. राजपत्र भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
6. शाखा प्रभारी, आय.टी. शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बावत प्रेषित।

(आर.के. चौधरी)
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.